

Photo

संख्या-217(2)/15-7-08-16(13)/2008

प्रेषक,

एफओएनओ प्रबान,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ दिनांक 29 फरवरी, 2008

विषय :- श्री वल्लभ मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ साइंस एण्ड कामर्स, गायत्रीनगर  
मनकापुर गोण्डा को सीओबीओएसओईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण  
पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का  
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीओबीओएसओईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबद्धों के अधीन  
आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया  
जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के  
मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उओप्रओमाध्यमिक शिक्षा  
परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न फ़काओं के  
लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और  
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा  
विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/  
कौंसिल फ़ार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त  
होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उओप्रओ  
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त  
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त  
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से  
कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय  
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का  
लाम उपलब्ध कराये जायेंगे।

Attested true copy

—2—

MOC

For SHREE DUTT MEMORIAL PUBLIC SCHOOL  
OF SCIENCE AND COMMERCEW Singh  
Manager



—2—

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।  
 (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।  
 (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र-वापस ले लिया जायेगा ।

महदीय,

(एफ0एन0 प्रधान)  
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा ।
- 4- निरीक्षक, आग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, श्री दत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ साइंस एण्ड कामर्स, गायत्रीनगर मनकापुर गोण्डा ।
- 6- गार्ड बुक ।

Attested true copy

For SHREE DUTT MEMORIAL PUBLIC SCHOOL  
OF SCIENCE AND COMMERCE

W Singh  
Manager

M आझा से,  
(एफ0एन0 प्रधान)  
संयुक्त सचिव।